राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर के छात्र निधियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 04.2005 से 03.2009 तक

भाग– एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2005

1.	पैरा– 3(क)	अनिर्णीत
2.	पैरा– 3(ख)	अनिर्णीत
3.	पैरा– 4	निर्णीत (अनुपालना करके दिखा दी गई।)
4.	पैरा– 5	अनिर्णीत
5.	पैरा– 6	निर्णीत मु0 1650/– रूपये की राशि सम्बन्धित निधि से निकालकर जमा करवा दी गई।
6.	पैरा– 7(क)	निर्णीत मु0 120/– रूपये की राशि वसूल करके दिनांक 10.05.2008 को जमा करवा दी गई।
7.	पैरा– 7(ख)	अनिर्णीत
8.	पैरा– 7(ग)	अनिर्णीत
9.	पैरा– 8(क)	निर्णीत अनुपालना करके दिखा दी गई।
10.	पैरा– 8(ख)	अनिर्णीत
11.	पैरा– 9	अनिर्णीत
12.	पैरा– 10	अनिर्णीत
13.	पैरा– 11	निर्णीत मु0 130/– रूपये + 130/– रूपये दिनांक 10.05.2008 व 06.12.2007 को जमा करवा दिए गए।
14.	पैरा– 12	निर्णीत अनुपालना करके दिखा दी गई।
15.	पैरा– 13	निर्णीत अनुपालना करके दिखा दी गई।
16.	पैरा– 14(क)	अनिर्णीत

17.	पैरा– 14(ख)	अनिर्णीत
18.	पैरा– 15(क)	निर्णीत मु0 80/– रूपये की राशि दिनांक 18.11.2008 को जमा करवा दिए गए।
19.	पैरा– 15(ख)	निर्णीत मु0 100/– रूपये की दिनांक 18.11.2008 को जमा करवा दिए गए।
20.	पैरा– 16	अनिर्णीत
21.	पैरा– 17	अनिर्णीत
22.	पैरा– 18(क)	अनिर्णीत
23.	पैरा– 18(ख)	अनिर्णीत
24.	पैरा– 18(ग)	अनिर्णीत
25.	पैरा– 18(घ)(1)	अनिर्णीत
26.	पैरा– 18(घ)(2)	अनिर्णीत
27.	पैरा– 18(ङ)	अनिर्णीत
28.	पैरा– 18(च)	अनिर्णीत

भाग– दो

2. **वर्तमान अंकेक्षणः–**

अवधि 04/2005 से 03/2009 तक का वर्तमान अंकेक्षण अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2009 से 16.01.2010 तक सुजानपुर टीहरा में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2005–06	07/2005	12/2005
2006–07	07/2006	12/2006
2007–08	08/2007	12/2007
2008–09	06/2008	12/2008

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किए गए है। विद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायी नही होगा। विभाग का उत्तरदायित्व जाँच हेतु उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

3. **अंकेक्षण शुल्कः—**

अवधि 04/2005 से 03/2009 तक का संस्था के छात्र निधियों के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन मु0 28000/— रूपये (अठाईस हजार रूपये) किया गया। उपरोक्त राशि को प्राचार्य महोदय से अंकेक्षण अधियाचना संस्था 213 के द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला— 9 के नाम भेजने का अनुरोध किया था। इस राशि को संस्था द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 802564 दिनांक 06.01.2010 के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

4. **वित्तीय स्थितिः—**

अंकेक्षण अवधि 04/05 से 03/09 तक संस्था के छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(क) समिश्रित निधिः—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्ति	योग	वर्ष में व्यय	रोकड़ बही अनुसार शेष	बैंक खातों में जमा राशि
2005—06	586338	779298	1365636	704509	661127	682177
2006—07	661127	692214	1353341	485533	867808	868954
2007—08	867808	537759	1405567	505904	899663	911401
2008—09	899663	667812	1567475	543979	1023496	1025860

समिश्रित निधि की बैंक समाधान विवरणीः—

(1) **31.03.2009 को खातों का विश्लेषणः—**

(i) बैंक बचत खातें में जमा राशि= 898168.00

(ii) सावधि जमा योजना में राशि= 127692.00

1025860.00

(2) रोकड़ बही के अनुसार शेष 895804.00

\+ सावधि जमा में निवेशित राशि 127692.00

कुल योग = 1023496.00

31.03.2009 को रोकड़ बही के अनुसार बचत खातों में जमा राशि=895804

\+ अग्रवर्णित चैक जो संख्या द्वारा जारी किये गये लेकिन 31.03.2009 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नही किये गयेः—

चैक संख्या	दिनांक	राशि
215436.00	31.03.2009	788.00
215437.00	31.03.2009	788.00
215438.00	31.03.2009	788.00
	योग	2364.00

78270

दिनांक 31.03.2009 को बैंक के बचत खाते में जमा राशि 898168 (सावधि जमा को छोड़ कर)

(3) संस्था द्वारा उक्त निधि से सावधिक जमा के अर्न्तगत दिनांक 11.05.2004 को छः वर्ष के लिए कमशः 63846/– व 63846/– कुल 127692/– रूपये की निवेशित राशि को वित्तीय स्थिति के अर्न्तगत शामिल नही किया गया था जो अब अंकेक्षण दौरान सही कर लिया गया है व जिसे आगामी समय में भी तदनुसार शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विश्व विद्यालय निधिः—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्ति	योग	व्यय	रोकड़ बही अनुसार शेष	बैंक में जमा राशि
2005–06	11403	233117	244520	194522	49998	48530
2006–07	49998	151334	201332	169191	32141	32141
2007–08	32141	162446	194587	177488	17099	17099
2008–09	17099	254003	271102	175332	95770	95770

(ग) रोबर एण्ड रेंजर निधिः—

गत प्रतिवेदनानुसार:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	कुल राशि	वर्ष में व्यय	रोकड़ बही अनुसार शेष	बैंक में जमा राशि (अभ्युक्ति)
2005–06	59854	63997	123851	29670	94181	मु0 360/– रूपये की हस्तगत राशि को रोकड़ बही के आरम्भिक व अन्तशेष में नही जोडा गया है।
2006–07	94181	61420	155601	–	155601	
2007–08	155601	55956	211557	–	211557	
2008–09	211557	61361	272918	–	272918	

दिनांक 31.03.2009 को रोकड़ बही का शेष 272918.00

हस्तगत राशि 360.00

(जिसे संस्था द्वारा 360/– रूपये के स्थान पर 380/– दर्शाया गया है जिसकी अभिलेख से पुनः पुष्टि करके सही किया जाऐं।

दिनांक 31.03.2009 को बैंक में जमा राशि 273278.00

नोटः— दिनांक 31.03.2005 से इस निधि में दिनांक 31.03.2009 तक 360/– रूपये हस्तगत राशि चली आ रही है। जिसे सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करे उक्त निधि के

बचत खातें में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाऐं व अनुपालना अगले अंकेक्षण में में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें। इस सन्दर्भ में यदि अन्यथा स्थिति हो तो इस सन्दर्भ में आगामी अंकेक्षण के समय अभिलेख सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करें।

(घ) निवेशः—

संस्था द्वारा दिनांक 31.03.2009 तक मिश्रित निधि में से निम्न विवरणानुसार मु0 127692/— रूपये की राशि छः वर्ष के लिए निवेश की गई थी, जिसके परिपक्वता पर पुनर्निवेश करना एवं ब्याज सहित रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाएं व अनुपालना अगले अंकेक्षण के समय अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें:—

कम सं0	खाता संख्या	सावधि जमा संख्या	निवेशित राशि	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि
1.	पी0आर0 1569	670680	63846	11.05.2004	10.05.2010	94692.00
2.	पी0आर0 1578	670681	63846	11.05.2004	10.05.2010	94692.00

4. (क) वित्तीय स्थिति की विवेचना करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा समिश्रित निधि में आवश्यकता से अधिक राशि बचत बैंक खाते में रखी गई है। यदि इस राशि में से समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो बचत बैंक खातों पर मिलने वाले ब्याज की अपेक्षा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था। अतः भविष्य में अनुपालनार्थ सुझाव दिया जाता है कि छात्र निधियों में संस्था की वास्तविक आवश्यकतानुसार राशियाँ बचत खातों में रखी जाए तथा शेष राशियाँ को किसी निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सके।

(ख) संस्था रोवर एण्ड रेन्जर निधि में वर्ष 2005—06 के उपरान्त छात्रों से निधियों की प्राप्ति कर के बैंक खातों में जमा करवाने तक ही सीमित रही है। इस निधि से छात्रों के कल्याणार्थ कोई खर्च नही किया गया है। जो छात्र हितों के दृष्टिगत उचित नही था। अतः इस निधि से खर्च करने हेतु विहित प्रावधानों/ नियमों के अनुरूप योजना तैयार करके छात्रों के कल्याण पर खर्च किया जाऐं।

5. समिश्रित निधिः—

मास 12/2005 में मु0 2537/— रूपये का भुगतान मैं0 पोवारी फोटोस्टेट सुजानपुर जिला हमीरपुर को अवधि 06.11.2004 से 15.11.2005 तक करवाऐं गये फोटोस्टेट कार्य हेतु किया गया। संलग्न बिल में यह प्रमाणित नही किया गया कि उपरोक्त कार्य छात्र कल्याण गतिविधियों से सम्बन्धित था अथवा नही जिसके अभाव में छात्र निधियों से किये गये भुगतान को सत्यापित नही किया जा सका। इस प्रयोजन हेतु रजिस्टर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाऐं। जिससे यह प्रमाणित/ सत्यपापित हो सके कि किस कार्य की कितनी प्रमात्रा निष्पादित करवाई गई तथा उसकी विषय वस्तु क्या

थी। अतः उक्त व्यय की वैद्यता हेतु सम्पूर्ण अभिलेख तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाऐं।

(क) श्री गोविन्द सिंह प्रवक्ता भूगोल शास्त्र को मु0 10,000/– रूपये का भुगतान अवधि 05.10.2005 से 08.10.2005 तक आयोजित हॉकी चैम्पियनशिप जो डी0ए0वी0 दौलतपुर चौक, ऊना में की गई थी, में भाग लेने हेतु अग्रिम के रूप में किया गया था। समायोजन वाऊचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त प्रतियोगिता पर मु0 4315/– रूपये खर्च किए गए तथा इस राशि में से 2250/– रूपये खिलाड़ी छात्रों को वितरित किए गए दर्शाए है। लेकिन इससे संम्बन्धित खिलाड़ी छात्रों का विवरण व उनकी पावतियाँ अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही की गई। जिस कारण यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि संस्था अध्यक्ष द्वारा किन–किन छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया था तथा उनकों वितरित दर्शाई गई राशि को क्या वास्तव में उन द्वारा प्राप्त किया गया था अथवा नही। अतः समस्त अभिलेख पूर्ण करें अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाऐं।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त 150/– रूपये की राशि का भुगतान प्रतियोगिता के दौरान अल्पाहार के रूप में खर्च की गई दर्शाई गई। जिससे सम्बन्धित बिल/ वाऊचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किये गये। अतः बिना बिल/ वाऊचर के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाऐं अन्यथा इस राशि की सम्बन्धित से वसूली करके छात्र निधियों में जमा करवाई जाऐं।

(ग) उपरोक्त अग्रिम से मु0 370/– रूपये का भुगतान मैसर्ज गोयल आशीष गुप्ता स्पोर्टस सैन्टर सुजानपुर टिहरा को दो बॉक्स शट्टल कॉक खरीदने हेतु किया गया। लेकिन खरीदे गए सामान के इन्द्राज स्पोर्टस स्टॉक रजिस्टर में नही दिखाए गए। जिस कारण खरीदे गए सामान के विरूद्ध किए गए भुगतान की सत्यापना नही की जा सकी।
अतः वान्छित कार्रवाई करके अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दर्शाई जाऐं।

6. मास 12/2005 में निम्नलिखित बिलों के द्वारा मैसर्ज ठाकुर टैन्ट हाऊस सुजानपुर टिहरा जिला हमीरपुर को किए गए भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा (SCA Oath Ceremony) मनाने हेतु स्थापित टैन्ट व अन्य सेवाओं के लिए फर्म से अलग–अलग बिल लिए गए जबकि उनमें एक ही प्रकार का सामान वर्णित था।

बिल संख्या	राशि
368	15745.00
369	15180.00

उपरोक्त फर्म को दिए गए आपूर्ति आदेशों की प्रति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि संस्था को कितने सामान की आवश्यकता थी। इसी तर्क को मद्देनजर रखते हुए फर्म से अलग–अलग बिल लेने का

औचित्य स्पष्ट किया जाऐं व यथोचित कार्रवाई से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाऐं।

7. मास 12/2005 में चैक संख्या 143349 के द्वारा 2661/– रूपये का भुगतान (SCA) एस0सी0एस0 उत्सव मनाने हेतु किया गया। उपरोक्त वाऊचर में एक बिल जो मैसर्ज हर्ष पैट्रोल फ्यूलस आलमपुर जिला काँगड़ा से सम्बन्धित था तथा इस बिल के द्वारा 15 लीटर पैट्रोल 31.40 प्रति लीटर की दर से 471/– रूपये बनते थे, के विरूद्ध 1000/– रूपये का भुगतान जनरेटर किराए पर लेने बारें किया गया दर्शाया गया है। अतः 1000–471= 529/– रूपये का भुगतान बिना बिल वाऊचर के करने का औचित्य स्पष्ट किया जाएं अन्यथा इस राशि की वसूली दोषी से करके छात्र निधियों में जमा करवाकर अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाऐं।

8. मास 12/2006 में मु0 42500/– रूपये का भुगतान मैसर्ज एलोरा टैक्नोलॉजी हमीरपुर को दो कम्प्यूटर खरीदने हेतु समिश्रित निधि से किया गया। जिसमें से एक सैट समिश्रित निधि के स्टॉक रजिस्ट्रर के पृष्ठ 19 कम संख्या 225, 226 व 227 के अनुसार कार्यालय प्रयोग हेतु जारी किया गया दर्शाया है, जो समिश्रित निधि पर उचित प्रभार नही है। अतः उक्त खरीदी गई सामग्री की व्यय राशि उचित स्त्रोत से प्राप्त करे समिश्रित निधि में जमा की जाऐं अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसका नियमानुकूलन करवाया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाऐं।

9. मास 12/2008 में मु0 40000/– रूपये का भुगतान ऋण स्वरूप चैक संख्या 023 दिनांक 19.12.2008 द्वारा एन0एस0एस0 कैम्प आयोजित करने हेतु समिश्रित निधि से किया गया। लेकिन अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक इस राशि का समायोजन नही किया गया था। अतः इस राशि को उचित स्त्रोत से शीघ्र प्राप्त करके छात्र निधियों में जमा करवाया जाऐं तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाऐं।

10. मास 12/2008 में मैसर्ज राणा टैन्ट लाईट एण्ड कैटरज सुजानपुर टिहरा को मु0 16506/– रूपये के भुगतान का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(1) संस्था द्वारा अपनी मांग के समर्थन में फर्म को दिए गए आपूर्ति आदेश की प्रति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही की गई जिसके अभाव में फर्म को किए गए भुगतान का सत्यापन संस्था की मांग के दृष्टिगत नही किया जा सका।

(2) उपरोक्त कार्य हेतु फर्म से प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यूनतम दर वाली फर्म मैसर्ज राणा टैन्ट लाईट एण्ड कैटरज सुजानपुर टिहरा द्वारा चादर की आपूर्ति हेतु दर 18/– रूपये दी गई थी। जबकि उपरोक्त फर्म द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में 25/– रूपये प्रति चादर की लगाई गई है। जिसके परिणामस्वरूप (25x10)= 250– (18x10)= 180= 70/– रूपये का अधिक भुगतान किया गया।

782718

अतः उपरोक्त फर्म के बिल का भुगतान करते समय फर्म द्वारा दी गई निविदाओं में निर्दिष्ट दरों के अनुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाऐं अन्यथा चूक से किए गए अधिक भुगतान की वसूली दोषी से करके छात्र निधियों में जमा करवाई जाऐं।

(3) फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल प्राचार्य से भुगतान हेतु पारित नही करवाया गया। अतः बिल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित / स्वीकृत न करने की स्थिति में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार के कृत्य से निश्चित तौर पर परिहार किया जाऐं।

11. संस्था द्वारा छात्र निधियों से सभी भुगतान चैकों के माध्यम से किए गए है लेकिन चैकों के लेखें–जोखें से सम्बन्धित चैक रजिस्टर नही लगाया गया है। जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि सेल्फ चैकों के द्वारा कितनी राशि का आहरण किया गया और क्या निकाली गई राशि पूर्णतया समायोजित कर ली गई है या नही। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि प्रत्येक भुगतान हेतु चैकों के माध्यम से निकाली गई राशियों के लेखांकन के लिए चैक रजिस्टर लगाया जाऐं तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाऐं।

12. **विश्वविद्यालय निधिः**— मास 12/2008 में चैक संख्या 431585 दिनांक 09.12.2008 के द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को भेजें गए मु0 4171/— रूपये की राशि की रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही की गई। जिसे शीघ्र प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाऐं।

13. अंकेक्षण के दौरान संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेख के अनुसार वर्ष 2005–06 में मु0 9400/— रूपये का भुगतान श्रीमती वनीता कुमारी (कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक) को NCC कैम्प आयोजित करने हेतु बतौर अग्रिम दिया गया जिससे सम्बन्धित बिल/समायोजन लेखें अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक प्रस्तुत नही किए गए जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सम्बन्धित कर्मचारी से उपरोक्त अग्रिम को समायोजित न करवाने बारें स्पष्टीकरण मांगा जाए तथा समायोजित लेखें शीघ्र प्राप्त करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

14. रसीद संख्या 4899 जो सुरेन्द्र कुमार छात्र के नाम से दिनांक 30.07.2005 को रोल नं0 संख्या 1761 के विरूद्ध मु0 820/— रूपये कांटी गई जिस निधि एकत्रितकरण रजिस्टर में पोस्टिंग करते समय 798/— रूपये दर्शाया गया है। कांटी गई रसीद में निधियों का विवरण न दिए जाने के कारण मु0 22/— रूपये कम जमा करवाई गई राशि की पड़ताल नही की जा सकी।

अतः इस रसीद के विरूद्ध छात्र से प्राप्त की गई राशि को निधि एकत्रितकरण रजिस्टर में कम जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाऐं अन्यथा इस राशि को सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाऐं।

15. मास 12/2000 को श्रीमती वनीता कुमारी प्रयोगशाला सहायक को मु0 306/– रूपये का अग्रिम गैस के सिलेन्डर भरने हेतु दिया गया। उपरोक्त अग्रिम के समायोजन पर पाया गया कि फर्म से प्राप्त बिल के इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टर में नही किए गए। जिससे यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि क्या वास्तव में इस सिलेन्डर को प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था या नही।

अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि सम्बन्धित रजिस्टर में इसके इन्द्राज करके एवं तत्सम्बन्धी उपयोग बारें अगले अंकेक्षण स्थिति स्पष्ट की जाऐं।

16.(क) मास दिसम्बर 2005 में मैसर्ज भानु विज्ञान केन्द्र घुमारवीं जिला बिलासपुर से उनके बिल संख्या 912 दिनांक 14.10.2005 के द्वारा मु0 23481/– रूपये के रसायन/ (Chemical) खरीदे गए। सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा उपरोक्त खरीद से सम्बन्धित दर संविदाएं/ निविदाएं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किए गए। जिसके अभाव में खरीदी गई सामग्री की दरों को सत्यापित नही किया जा सका। अतः नियमानुसार खरीद हेतु अपनाई गई प्रकिया, जैसे निविदाएं दर संविदा या अन्य माध्यम जिसके द्वारा खरीद की गई थी अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाऐं।

(ख) संस्था द्वारा खरीदी गई रसायन सामग्री की सामान्य भण्डार रजिस्ट्रर में प्रविष्टि तो की गई है। लेकिन रसायन सम्बन्धी रजिस्ट्रर में इन्द्राज व उपयोग के विवरण नही दर्शाए गए। अतः सम्बन्धित रजिस्ट्ररों को पूर्ण करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाऐं।

17.(क) विविधः– रसीद बुकों से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा छात्र निधियों की प्राप्ति हेतु छपवाई गई रसीद बुकों के कमांक काल कम में न छपवा कर कमांकों को दोहराया गया है। जिस कारण एक कमांक की रसीद बुक बार–बार प्रयोग में लाई गई है यह एक अनियमित प्रकिया है जिसके परिणामस्वरूप अनियमितता व दुर्विनियोजन की सम्भावना बनी रहेगी। अतः भविष्य हेतु यह सुनिश्चित किया जाऐं कि इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाऐं तथा रसीद बुकों की छपवाई का कार्य काल कम में करवाया जाऐं।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया कि संस्था द्वारा छात्रों से निधि एवं शुल्कों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर को अंकेक्षण अवधि तक पूर्ण नही किया गया। जिसके अभाव में कुल छपवाई गई रसीद बुकों मं से कितनी प्रयोग में लाई गई और कितनी शेष बची थी का आंकलन नही किया जा सका। इसके साथ यह भी सुनिश्चित नही किया जा सका कि प्रयोग हेतु जारी की गई रसीद बुकों का लेखांकन सम्बन्धित रोकड़ बहियों एवं निधि एकत्रित करण रजिस्टर में किया जा चुका था या नही? अतः सम्पूर्ण अभिलेख तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाऐं।

(ग) अंकेक्षण के दौरान पुस्तकालय से छात्रों को पढ़ने हेतु जारी की गई पुस्तकों को देरी से वापिस करने बारें दण्ड वसूली से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए। जिसके अभाव 78271

में इस सन्दर्भ में छात्रों से वसूली गई राशियों का सत्यापन नही किया जा सका। अतः वान्छित अभिलेख तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाएं जाऐं।

(घ) छात्रों निधियों से खरीदे गए समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किए गए। अतः समय–समय पर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की रद्दी की नीलामी से प्राप्त आय के सत्यापन हेतु अभिलेख को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाऐं।

(ङ) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र निधियों से अतिथि संकाय पर नियुक्त प्रध्यापकों के हाजिरी चार्ट जो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने अपेक्षित थे नही किए गए। अतः सम्बन्धित अभिलेख प्रतिहस्ताक्षरित करकें अगले अंकेक्षण पर दिखाए जाऐं तथ भविष्य में इस बारें अनुपालनार्थ ध्यान रखा जाऐं।

(च) छात्रों निधियों से रखे गए दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों के उपस्थिति नामावली बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा दैनिक वेतन पर रखे गए सफाई कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र व संस्था में इन कर्मचारियों के विरूद्ध रिक्त पदों का ब्यौरा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के **First Ordinance** में छात्र निधियों से गैर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधान के दृष्टिगत सत्यापित नही किया जा सका। अतः वान्छित अभिलेख व सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों का पूर्ण विवरण अगले अंकेक्षण पर दिखा जाऐं।

18. **लघु आपत्ति विवरणीः–**

इसे अलग से जारी नही किया गया है।

19. **निष्कर्षः–**

लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला– 171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0) एच(2) सी(15) 11(6) 97/2001– 2869-70 I दिनांक, 14 JUL 2010
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

पंजीकृत:- 1. प्रधानाचार्य रा0 माहविद्यालय सुजानपुर टिहरा जिला हमीरपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस संचायिका अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला– 171001

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला– 171009

782